33

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 964–एक/2012 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 27–3–2012 – पारित व्दारा – अपर कलेक्टर जिला भिण्ड – प्रकरण कमांक 5/2010–11 निगरानी

महेश कुमार गौड़ पुत्र माताप्रसाद गौड़
ग्राम खेरिया तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ———आवेदक

विरूद्व

श्री कृष्ण शर्मा पुत्र भगवती प्रसाद शर्मा
ग्राम खेरिया हाल निवासी डिकी कालॅज
के पीछे मेहगॉव जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 5/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.3.2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार मेहगॉव से उसके स्वामित्व की मौजा खेरिया तोर स्थित भूमि सर्वे नंबर 229/2 रकबा 0.417 हैक्टर के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार मेहगॉव ने प्रकरण कमॉक 83/2009–10 अ–12

पंजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी से सीमांकन प्रतिवेदन मांगा। राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर पक्षकारों को सुनकर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–0–10 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 5/2010–11 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 27–3–12 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकन के दौरान राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदक ने आपत्ति की थी कि जिस भूमि का सीमांकन किया जाना है उसमें पानी भरा है इसलिये सीमांकन नहीं किया जाना चाहिये और राजस्व निरीक्षक मान भी गये। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, किन्तु वाद में अनावेदक के घर बैठकर पंचनामा एंव फील्ड बुक तैयार कर प्रस्तुत कर दी, जिससे आवेदक की भूमि डिस्टर्व होने का अंदेशा हो गया है, इस प्रकार के साजिसन सीमांकन प्रतिवेदन को तहसीलदार ने सीमांकन होना मानने में भूल की है और अपर कलेक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि तहसीलदार के समक्ष जब आवेदक आपत्ति प्रस्तुत कर रहा है उसे पुष्टिकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये था, जो नहीं दिया गया। उन्होंने अपर कलेक्टर एंव तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने की मांग की।

अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को सीमांकन की विधिवत सूचना दी है एंव सीमांकन के समय वह उपस्थित रहा है सीमांकन उपरांत जब फील्ड बुक एंव पंचनामा तैयार किया गया, आवेदक ने दस्तखत करने से मना किया है जिसके कारण तहसीलदार ने उसकी आपत्ति अमान्य की है। उन्होंने तहसीलदार के सीमांकन आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन हेतु तिथि

निर्धारित करने के वाद आवेदक को विधिवत् सूचना दी है एंव आवेदक सीमांकन के समय मौके पर मौजूद रहा है । पंचनामा अनुसार राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने पंचों के समक्ष सीमांकन कार्य किया है तथा पंचनामे पर पंचान के हस्ताक्षर है राजस्व निरीक्षक के अनुसार जब आवेदक से पंचनामे पर हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया उसने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। जहॉ तक सीमांकन से आवेदक की भूमि के प्रभावित होने का प्रश्न है ? आवेदक स्वयं की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से अथवा उनसे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–9–10 तथा अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दिनांक 27–3–12 उचित हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 5/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27.3.2012 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर